<u>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल</u>

<u>नोटिस</u>

दल संख्या–130472106 कांस्टेबल (के.एस) सोलंकी हीरालाल पुत्र श्री आंनद निवासी गांव–नायेदवी, पो.ओ–हिवरखेड, तहसील–खामगांव, जिला–बुलढाणा (महाराष्ट्र) पिन– 148872 को दिनांक 14.12.2023 को 0730 बजे से डियुटी स्लीप स्वीकृत किया गया था। कर्मी डियुटी समाप्ति पर उसे दिनांक–14.12.2023 (अप्रा0) को 37वीं वाहिनी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, लेह, लद्दाख (यू.टी.) में आमद देनी थी, परन्तु ऐसा न करके सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपनी मर्जी से अनुपस्थित चल रहा है।

2. कर्मी को इस कार्यालय के ज्ञापन सं0–5712 दिनांक–18.12.2023 एवं ज्ञापन संख्या–5823 दिनांक–28.12.2023 के तहत ड्यिूटी पर आमद देने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी कर्मी ने न तो स्वयं वाहिनी में आमद दी व न ही कोई सूचना प्रेषित की गई है जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 21(b) के तहत एक अपराध है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 74(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कर्मी के विलम्ब का कारणों का पता लगाने के लिए इस कर्यालय के आदेश संख्या–195 दिनांक–01.02.24 के तहत न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया तथा न्यायिक जॉच समिति की संस्तुति के आधार पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 74(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या–7800 दिनांक–06.03.24 के तहत कर्मी को दिनांक 14.12.23 (अप्रा.) से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से **"भगौड़ा"** घोषित किया गया है।

3. अतः इस नोटिस के माध्यम से दल संख्या–130472106 कांस्टेबल (के.एस) सोंलकी हिरालाल पुत्र श्री आनंद, को एक और मौका देते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह इस नोटिस के समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथी से 30 दिन के अन्दर अपनी आमद 37वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा बल, लेह, लद्दाख (यू.टी.) में दें **अन्यथा एक तरफा निर्णय लेते हुये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियम व अधिनियमों के तहत कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।**

सेनानी
37वी वाहिनी, भा0ति0सी0पु0

सेनानी
COMMANDANT
37वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु.बल
37BN.I.T.B. POLICE FOR

CBC-19112/11/0033/2425